

वाद-मुक्त ग्रामीण भारत की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि : सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन

श्रमबिन्दु / दुर्ग

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी "Community Mediation Towards a Litigation-Free Rural India" स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2026 से 29 जुलाई 2026 तक आयोजित पाँच दिवसीय सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम का दिनांक 29/07/2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़) के चतुर्थ तल स्थित नवीन सभागार में गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक समापन हुआ।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति,



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की प्रेरणादायी संकल्पना के फलस्वरूप अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। उनके मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल एक शैक्षणिक पहल तक सीमित न रहकर सामाजिक परिवर्तन एवं वाद-मुक्त ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में एक सशक्त जन-अभियान के रूप में स्थापित हुआ है। पाँच दिनों तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों द्वारा अत्यंत उत्साह, अनुशासन एवं समर्पण के साथ सहभागिता

की गई, जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग श्री के० विनोद कुजूर का सतत मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। प्रशिक्षण के दौरान सामुदायिक मध्यस्थता की अवधारणा, मध्यस्थता के मूल सिद्धांत, प्रभावी संवाद कौशल, सक्रिय श्रवण विवाद विश्लेषण, व्यवहारिक मध्यस्थता तकनीकों, नैतिक मूल्यों एवं ग्राम स्तर पर विवादों के सौहार्दपूर्ण निराकरण के संबंध में गहन एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के विभिन्न सत्रों में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक अपनी

सहभागिता सुनिश्चित करते हुए समूह चर्चाओं, भूमिका निर्वहन एवं व्यवहारिक अभ्यासों के माध्यम से मध्यस्थता की बारीकियों को आत्मसात किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने बताया कि वाद-मुक्त ग्रामीण भारत के निर्माण के संकल्प के साथ जिले के पाँच ग्राम घुघसीडीह, ननकट्टी, अरसनारा, निकुम एवं कुथरेल से चयनित कम्यूनिटी मीडियेटर्स को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से समाज में शांति, सद्भाव एवं संवाद की संस्कृति को सुदृढ़ करने हेतु तैयार किया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ये कम्यूनिटी मीडियेटर्स अपने-अपने ग्रामों में सामाजिक, पारिवारिक एवं सामुदायिक स्तर पर उत्पन्न होने वाले छोटे-छोटे विवादों का सौहार्दपूर्ण एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे।

प्रशिक्षण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिया प्रशिक्षण

विवाद निबटारा करने का प्रशिक्षण

पत्रिका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

दुर्ग . राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की कम्यूनिटी मीडिएशन टुवर्ड्स ए लिटिगेशन-फ्री रूरल इंडिया एसओपी, 2026 के क्रियान्वयन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने पांच दिवसीय सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन किया। यह प्रशिक्षण 25 से 29 जुलाई तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के नवीन सभागार में आयोजित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर व मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की प्रेरणा से यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक हुआ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के अध्यक्ष विनोद कुजूर का सतत मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। प्रतिभागियों को सामुदायिक मध्यस्थता की अवधारणा, मूल सिद्धांत, प्रभावी संवाद कौशल,



सक्रिय श्रवण, विवाद विश्लेषण और व्यावहारिक तकनीकों का गहन प्रशिक्षण दिया गया।

प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने बताया कि वाद-मुक्त ग्रामीण भारत के संकल्प के साथ घुघसीडीह, ननकड़ी, अरसनारा, निकुम एवं कुथरेल गांवों से चयनित कम्यूनिटी मीडिएटर्स को प्रशिक्षित किया गया है। ये मध्यस्थ अपने-अपने गांवों में सामाजिक, पारिवारिक और सामुदायिक विवादों का सौहार्दपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करेंगे। इसमें मुस्कान शर्मा, पंकज शर्मा, विभिन्न विभागों, विधि महाविद्यालयों, पैरालीगल वालंटियर्स का योगदान रहा।

प्रशिक्षित मध्यस्थों को प्रमाण-पत्र मिले

समापन पर स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत की अध्यक्ष सुषमा लकड़ा और सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने प्रशिक्षित मध्यस्थों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए। संचालन के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष सुषमा लकड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत, सचिव उमेश कुमार भागवतकर का सहयोग रहा।

नई पहल • सामुदायिक मध्यस्थता के लिए 25 से 29 जुलाई तक प्रशिक्षण दिया गया

चयनित सामुदायिक मध्यस्थ अब अपने गांवों में छोटे विवादों का समाधान कराने में भूमिका निभाएंगे

सिटीरिपोर्टर/दुर्ग

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने सामुदायिक मध्यस्थता पर 25 से 29 जुलाई तक चले प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की मानक कार्यविधि के अनुरूप वाद घटाने और ग्रामीण स्तर पर संवाद की संस्कृति मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक



चयनित सामुदायिक मध्यस्थ सदस्यों को प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र दिया।

सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की प्रेरणादायी संकल्पना के फलस्वरूप अत्यंत सफलतापूर्ण रहा।

अध्यक्ष के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को मध्यस्थता की अवधारणा, नैतिकता, प्रभावी संवाद, सक्रिय श्रवण, विवाद विश्लेषण और व्यवहारिक तकनीकों का अभ्यास कराया गया। सचिव उमेश कुमार भागवतकर के अनुसार

घुघसीडीह, नन्कट्टी, अरसनारा, निकुम और कुथरेल से चयनित सामुदायिक मध्यस्थ अब अपने गांवों में छोटे विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराने में भूमिका निभाएंगे। इस दौरान लोक अदालत की अध्यक्ष सुषमा लकड़ा, उमेश कुमार भागवतकर, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी मुस्कान शर्मा और फंकज शर्मा मौजूद थे।

महविद्यालयों, पैरालीगल वालंटियर्स का सहयोग रहा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने इस महत्वाकांक्षी पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए मल्टी सेक्टोरियल एप्रोच को अपनाते हुए विभिन्न विभागों, विधि महविद्यालयों, पैरालीगल वालंटियर्स, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया गया। यह सहभागिता सामुदायिक मध्यस्थता को एक जन-आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। यह महत्वाकांक्षी एवं जनकल्याणकारी पहल रहा।

Community mediation training concludes

■ Staff Reporter

DURG, July 30

FIVE-DAY community mediation training programme concluded in the Principal District and Sessions Court at Durg on Wednesday. Throughout the training, participants demonstrated exceptional enthusiasm, discipline, and dedication. Trainees received intensive practical instruction on the concepts of community mediation, core mediation principles, effective communication skills, active listening, dispute analysis, practical mediation techniques, ethical values, and the amicable resolution of village-level disputes. Attendees actively absorbed these nuances through group discussions, role-playing exercises, and practical drills.

DLSA Durg Secretary Umesh Kumar Bhagwatkar stated that with the vision of building a litigation-free rural India, selected community mediators from five local villages including Ghughsidih, Nankatthi,



Judicial officers with community mediators.

Arasnara, Nikum, and Kutharel were equipped to strengthen a culture of peace, harmony, and dialogue. Following this training, these mediators will play a crucial role in ensuring the amicable and effective resolution of minor social, familial, and community disputes directly within their respective villages.

During the closing ceremony, certificates were awarded to all successful community mediators by Sushma Lakra, Chairperson of the Permanent and Continuous Lok Adalat, and DLSA Secretary.

This recognition marks not only the completion of their training but also signifies their new roles as ambassadors of peace, dialogue, and social harmony in society.

DLSA adopted a multi-sectoral approach for this ambitious initiative, securing the active cooperation of various Government departments, law colleges, paralegal volunteers, local public representatives, and social activists. This collaboration proved vital in transforming community mediation into a widespread public movement.